[2018] 13 एस.सी.आर. 1278

असीर जमाल

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(2018 रिट याचिका (सी) संख्या 137/2018) 27 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए.एम कहनविलकर और डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.जे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: धारा 6 (1) – याचिकाकर्ता का मामला यह है कि बड़ी संख्या में अशिक्षित व्यक्ति और दृष्टिबाधित व्यक्ति या अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं – रिट याचिकाकर्ता ने भारत संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अशिक्षित नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी मशीनरी प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की। दृष्टिबाधित व्यक्तियों और ऐसे विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी मशीनरी प्रदान करना जो इंटरनेट तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं – जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित शिकायत का संबंध है, उन व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सहायता प्रदान की जानी है जो लिखने में असमर्थ हैं या जिन्हें लिखने में कठिनाई है – कई राज्य ब्रेल में जानकारी प्रदान करते हैं – अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने नियमों का एक सेट तैयार किया है, अर्थात् सूचना का अधिकार नियम, 2012 – आर.5 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा का ध्यान रखता है – यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह उक्त श्रेणी से संबंधित है और जहां तक भुगतान के तरीके का संबंध है, विभिन्न तरीके प्रदान किए जाते हैं और यह आलोचना कि यह प्रतिबंधित है, अस्वीकार्य है – प्राप्त करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध किसी अन्य मोड (तरीकों) को इंगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है – यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे न केवल सहानुभूति के साथ बल्कि चिंता और सहानुभूति के साथ भी निपटाया जाएगा – विकलांग व्यक्ति, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति शामिल हैं, उनके पास अधिनियम के तहत अनुमेय ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कार्यात्मक सुविधा होनी चाहिए – उन्हें ऐसी उपयोगिता के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए – इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को इस बीच विकसित किसी भी प्रकार की उन्नत तकनीक का पता लगाने के लिए ताकि अन्य तरीकों को पेश किया जा सके –

यदि याचिकाकर्ता 1278 असीर जमाल बनाम भारत संघ और ओआरएस को इंगित करता है। इसके अलावा, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए – रिट याचिका का निपटारा किया गया – सूचना का अधिकार नियम, 2012 – आर.5.

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित शिकायत का संबंध है, उन व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो लिखने में असमर्थ हैं या लिखने में कठिनाई है। यह ध्यान में लाया गया है कि कई राज्य वर्ष 2012 से ब्रेल लिपि में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हर बार जब प्राधिकरण को ब्रेल लिपि में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई आवेदन प्राप्त होता है, तो यह मुद्रित प्रारूप में एक जवाब तैयार करता है और इसे राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान को भेजता है जहां इसे ब्रेल में परिवर्तित किया जाता है। सूचना का अधिकार (आरटीडी अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा ब्रेल लिपि में इसके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियमों) के तहत प्रतियां प्राप्त करने वाले बिहार के दृष्टिबाधित नागरिक देश के पहले नागरिक थे। ऑडियो फाइलें भी तैयार की जा रही हैं। [पैरा 10] [1283–एफ–एच]

2. अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार नियम, 2012 नामक नियमों का एक सेट तैयार किया है। नियम 5 उन लोगों के प्रकाश का ख्याल रखता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह उक्त श्रेणी से संबंधित है और जहां तक भुगतान के तरीके का संबंध है, विभिन्न तरीके प्रदान किए जाते हैं और यह आलोचना कि यह प्रतिबंधित है, अस्वीकार्य है। [पैरा 12, 13] [1284–बी; 1285–सी–डी]

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य बनाम बंगाल क्रिकेट संघ और अन्य। (1995) 2 एससीसी 161: [1995] 1 एससीआर 1036;

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एनर। v. भारत संघ और अन्य 2004) 2 एससीसी 476: [2004] 1 एससीआर 232 – संदर्भित।

केस लॉ संदर्भित [1995] 1 एससीआर 1036 को पारल [2004] 1 एससीआर 232 को संदर्भित किया गया है जो पारल सिविल मूल अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है: 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 598/2018।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के. के . वेणुगोपाल, एजी, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, श्रीमती माधवी दीवान, सुश्री श्रद्धा देशमुख।

असीर जमाल (याचिकाकर्ता–इन–पर्सन) दीपक मिश्रा, सीजेआई द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था।

1. लगभग एक सदी पहले, नोबेल पुरस्कार विजेता टीएस एलियट ने मोहभंग करते हुए लिखा था, "ज्ञान में हमने जो ज्ञान खो दिया है वह कहां है? वह ज्ञान कहां है जो हमने जानकारी में खो दिया है? यद्यपि कथन की सामग्री को अपनी सुगंध या स्वाद खो देने के लिए नहीं कहा जा सकता है, फिर भी आज, सूचना शक्ति की एक मजबूत भावना बन गई है। सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में माना गया है। सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक आंतरिक घटक के रूप में माना गया है, जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य में कहा गया है। बंगाल क्रिकेट संघ और अन्य.1 और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और दूसरा वाई. भारत संघ और अन्य।

2. सूचना के अधिकार के बारे में बताने के बाद, हम रिट याचिका में किए गए दावों का विज्ञापन करेंगे। रिट याचिका में यह कहा गया है कि भारत, जो एक विशाल देश है जिसकी बड़ी आबादी है, में कुछ मिलियन अशिक्षित वयस्क हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ राज्यों में अधिक निरक्षर हैं।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) का उल्लेख करते हुए यह आग्रह किया जाता है कि अनपढ़ व्यक्ति और दृष्टिबाधित व्यक्ति या अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि धारा 6 में निहित प्रावधान दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बीच अनुचित वर्गीकरण से ग्रस्त है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान आर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं हैं जिनके पास इंटरनेट तक कोई पहुंच नहीं है। यद्यपि याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संबंध में इसे अस्वीकार कर दिया गया है, फिर भी प्रार्थना को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है और हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हमें लगता है कि संविधान

(1995) 2 एससीसी 161 2

(2004) 2 एससीसी 476

असीर जमाल बनाम भारत संघ और अन्य से निपटने की कोई आवश्यकता या आवश्यकता नहीं है। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

अधिनियम की धारा 6 की वैधता। वास्तव में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान, प्रार्थना राहत प्राप्त करने पर केंद्रित थी, अर्थात्, भारत संघ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अशिक्षित नागरिकों की जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी मशीनरी प्रदान करने और दृष्टिबाधित व्यक्तियों और ऐसे विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी मशीनरी प्रदान करने के लिए जो उन तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं। तथ्य यह है कि हमने इस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल की सहायता मांगी

4. हमने याचिकाकर्ता श्री असीर जमाल, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं और श्री केके वेणुगोपाल, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुना है। यद्यपि श्री वेणुगोपाल द्वारा तैयार किया गया चार्ट आपत्तियों और प्रतिक्रिया को इंगित करता है, फिर भी हम इससे समग्र रूप से निपटने का इरादा रखते हैं।

5. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार है– प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदशता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, एक केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए। या उसके आनुषंगिक हैं।

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है; और जबकि लोकतंत्र के लिए एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके साधनों को शासितो के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है;

और जबकि वास्तविक व्यवहार में जानकारी के प्रकाशन से सरकारों के कुशल संचालन, सीमित राजकोषीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सहित अन्य सार्वजनिक हितों के साथ संघर्ष होने की संभावना है;

और जबकि लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता को संरक्षित करते हुए इन परस्पर विरोधी हितों को सुसंगत बनाना आवश्यक है; सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

इसलिए, उन नागरिकों को कुछ जानकारी प्रदान करना समीचीन है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। 6. अधिनियम की धारा 2 (जे) "सूचना के अधिकार" से संबंधित है, जो इस प्रकार है: "(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में रखा गया है और इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है–

(i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, अर्क या प्रमाणित प्रतियां लेना ;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत है। अधिनियम की धारा 6 जो सूचना प्राप्त करने के अनुरोध से संबंधित है, निम्नानुसार निर्धारित करती है:–

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अंगे्रजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, ऐसे शुल्क के साथ, जो विहित किया जाए, अनुरोध करेगा– (क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण का; (ख) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा मांगी गई सूचना के विवरण विनिर्दिष्ट करेगा: बशर्ते कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में इसे कम करने के लिए मौखिक रूप से सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन विवरणों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

असीर जमाल बनाम भारत संघ और अन्य।

दीपक मिश्रा सी०जे०आई०

(3) जहां किसी लोक प्राधिकारी को कोई सूचना देने का अनुरोध करते हुए आवेदन किया जाता है, (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास है; या (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी, जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है, के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। आवेदन या उसके ऐसे भाग को स्थानांतरित करेगा जो उसके लिए उपयुक्त हो।अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण और आवेदक को इस तरह के हस्तांतरण के बारे में तुरंत सूचित करें: बशर्ते कि इस उप–धारा के अनुसार आवेदन का विवरण जल्द से जल्द व्यावहारिक रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर नहीं।

8. अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल ने धारा 6 (1) के परंतुक पर जोर दिया है ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य है कि वह मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को लिखित रूप में इसे कम करने के

लिए सभी उचित सहायता प्रदान करे। जैसा कि हम उक्त परंतुक से समझते हैं, यह अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तियों की बात सुने और इसे लिखित रूप में कम करे और इसे संसाधित करे।

9. अधिनियम की धारा 6 (3) उपयुक्त सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान करके उन व्यक्तियों की आशंका का ध्यान रखती है, जिनके कारण याचिकाकर्ता का समर्थन करता है। इसे सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, हम यह नहीं पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का पता लगाने में कोई कठिनाई हो सकती है क्योंकि स्थानांतरण का प्रावधान है।

10. जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित शिकायत का संबंध है, जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जानी है जो लिखने में असमर्थ हैं या जिन्हें लिखने में कठिनाई है। श्री केके वेणुगोपाल ने हमारे ध्यान में लाया है कि कई राज्य वर्ष 2012 से ब्रेल लिपि में सूचना प्रदान कर रहे हैं। हर बार जब प्राधिकरण को ब्रेल लिपि में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई आवेदन प्राप्त होता है, तो यह मुद्रित प्रारूप में एक जवाब तैयार करता है और इसे राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान को भेजता है जहां इसे ब्रेल में परिवर्तित किया जाता है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा ब्रेल लिपि में इसके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियमों के तहत प्रतियां प्राप्त करने वाले बिहार के दृष्टिबाधित नागरिक देश में पहले थे। ऑडियो फाइलें भी तैयार की जा रही हैं।

11. श्री वेणुगोपाल द्वारा दायर चार्ट से, यह स्पष्ट है कि सूचना तक टोल फ्री पहुंच प्रदान करने वाले कई हॉटलाइन नंबर उपलब्ध हैं। आरटीआई वेबसाइट पर। इसके अलावा, पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न या प्रतिक्रिया के लिए एक सहायता डेस्क भी उपलब्ध है। संपर्क नंबर 011-24622461 है।

12. अगली बात जिस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है वह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा। यह उल्लेख करना उपयोगी है कि अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार नियम, 2012 नामक नियमों का एक सेट तैयार किया है। उक्त नियमों के नियम 3, 4, 5 और 6 निम्नानुसार पढ़े गए हैं:

3. आवेदन शुल्क" अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन के साथ दस रुपये का शुल्क होगा और आमतौर पर पांच सौ से अधिक शब्द शामिल नहीं होंगे, अनुलग्नकों को छोड़कर, जिसमें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और आवेदक का पता होगा: बशर्ते कि कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि इसमें पांच सौ से अधिक शब्द हैं।

4. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) और धारा 7 की उप-धारा (डी और (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा अर्थात् :- (क) ए -3 या छोटे आकार के कागज में प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये;

(ख) बड़े आकार के कागज में फोटोकॉपी की वास्तविक लागत या मूल्य;

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य;

(घ) प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपये;

(ङ) किसी प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से निकाले गए अंशों के लिए फोटोकॉपी की प्रति पृष्ठ दो रुपये;

(च) निरीक्षण के पहले घंटे के लिए अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद के प्रत्येक घंटे या अंश के लिए 5 रुपये का शुल्क; और

(छ) सूचना की आपूर्ति में शामिल इतना डाक शुल्क जो पचास रुपये से अधिक है।

5. शुल्क के भुगतान से छूट – नियम 3 और नियम 4 के तहत किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे है, बशर्ते कि इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई हो। असीर जमाल बनाम भारत संघ और अन्य। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

6. शुल्क के भुगतान की विधि – इन नियमों के अधीन शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है, अर्थात् :– (क) लोक प्राधिकारी को या लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उचित रसीद के विरुद्ध नकद, या (ख) डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय भारतीय डाक आदेश द्वारा; या (ग) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमो से। सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी, यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क प्राप्त करने की सुविधा सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

13. नियम 5 उस स्थिति का ध्यान रखता है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किया गया है। यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह उक्त श्रेणी से संबंधित है और जहां तक भुगतान के तरीके का संबंध है, विभिन्न तरीके प्रदान किए जाते हैं और यह आलोचना कि यह प्रतिबंधित है, अस्वीकार्य है।

14. प्राप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा बताया गया है, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम यह सोचते हैं कि याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध किसी अन्य मोड (माध्यमों) को इंगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देने के अलावा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे न केवल सहानुभूति के साथ बल्कि चिंता और सहानुभूति के साथ भी निपटाया जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विकलांग

व्यक्तियों, जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं, के पास अधिनियम के तहत अनुमेय ऐसी सूचना प्राप्त करने की कार्यात्मक सुविधा होनी चाहिए। उन्हें ऐसी उपयोगिता के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि शुरुआत में संकेत दिया गया है, जानकारी किसी को सशक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त, हम अधिकारियों को इस बीच विकसित किसी भी प्रकार की उन्नत तकनीक का पता लगाने के लिए कहना उचित समझते हैं ताकि अन्य तरीकों को पेश किया जा सके। हमें पूरा यकीन है कि अगर याचिकाकर्ता इंगित करेगा, तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। हम यह भी निश्चित हैं कि प्राधिकरण, पूरी ईमानदारी और चिंता के साथ, उपलब्ध ऑन–लाइन अनुप्रयोग / तंत्र के साथ आगे की संभावनाओं का पता लगाएगा।

15. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है। कोई हर्जा नही।

देविका गुजराल की याचिका निस्तारित।

Digitally signed by SHEELVANT
Date: 2023.11.01 14:36:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court